प्रेस विज्ञप्ति

19.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.05.2024 को राजेश बृजलाल बटरेजा को गिरफ्तार किया है। राजेश बत्रेजा ने अपराध के आगम (पीओसी) के एक हिस्से को अन्यत्र स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुबई से निवेश की आड़ में भारत के बाहर 55.50 करोड़ रुपये और उक्त पीओसी के हिस्से को भारत में दो संस्थाओं में राउंड ट्रिपिंग किया गया। इससे पहले इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी शामिल हैं जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता,1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी से आयकर विभाग से 263.95 करोड़ रू. के टीडीएस रिफंड जारी करने के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि राजेश बृजलाल बटरेजा ने तानाजी मंडल अधिकारी को हवाला चैनल द्वारा 55.50 करोड़ रुपये पीओसी को भारत के बाहर भेजने के लिए नकदी में बदलने के लिए 03 शेल कंपनियों में फेरने में मदद की।

पीओसी के विचलन के बाद, राजेश बृजलाल बटरेजा ने अपराध की आय को छुपाने में तानाजी मंडल अधिकारी की भी सहायता की और बाद में इसे बेदाग दिखाने के लिए दुबई में एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से फर्मों को शामिल करके कथित पीओसी को रखने और लेयर करने में मदद की। जांच से यह भी पता चला कि राजेश बृजलाल बत्रेजा ने सीमा पार प्रेषण करके शेयर निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित 02 भारतीय कंपनियों में कथित पीओसी का कुछ हिस्सा निवेश किया है।

उक्त 02 भारतीय कंपनियों के कार्यालय परिसर में 16.05.2024 को भी तलाशी अभियान चलाया गया और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। राजेश बृजलाल बटरेजा को 16.05.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध की आय से निपटने में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था और 17.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 22.05.2024 तक आरोपी को ईडी को हिरासत में देने की कृपा की।

इससे पहले इस मामले में करोड़ रुपये की अब तक 168 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्ति की पहचान एवं जब्ती/कुर्की की गई है। तानाजी मंडल अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ 11.09.2023 को अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है, जिसका संज्ञान माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय द्वारा भी लिया गया था।

आगे की जांच जारी है।